भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2781

उत्तर सोमवार, दिनांक 07 अगस्त, 2023,श्रावण 16, 1945 (शक) को दिया गया

जीएसटी प्रतिपूर्ति देने की समयावधि का विस्तार

2781. श्री अर्जुन लाल मीणा:
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्तमान में जीएसटी प्रतिपूर्ति की कितनी राशि लंबित है;
(ख) क्या राज्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली जीएसटी प्रतिपूर्ति उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति का समय पांच साल तक बढ़ाने और राज्यों को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;
(घ) क्या सरकार/जीएसटी परिषद को इस संबंध में कर्नाटक और केरल सहित राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के कारण कई राज्यों को नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के कारण राज्यों को हुए नुकसान का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का राज्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व के नुकसान पर विचार किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों को उक्त नुकसान की भरपाई के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (छ): भारत सरकार ने पांच वर्षों अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनंतिम रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से उत्पन्न होने वाली अंतिम क्षतिपूर्ति को महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त होते ही तुरंत जारी कर दिया जाता है और कोई धनराशि जारी किए जाने के लिए लंबित नहीं है।

संसद द्वारा अधिनियमित माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार, किसी राज्य को देय क्षतिपूर्ति की अनंतिम रुप से गणना की जाती है और हर दो महीने की अवधि के अंत में इसे जारी किया जाता है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से इसकी गणना की जाती है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रयोजन के लिए, चुनिंदा वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर की उगाही की जाती है और एक गैर-व्यपगत निधि अर्थात जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जमा की जाती है तथा राज्यों को जारी की जाने वाली समस्त क्षतिपूर्ति केवल क्षतिपूर्ति निधि से की जाती है। जबकि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त संसाधन क्षतिपूर्ति कीआवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण कम जीएसटी संग्रहण के कारण अधिक क्षतिपूर्ति की आवश्यकता हुई जबकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का संग्रह कम हो गया।

महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति निधि और जीएसटी क्षतिपूर्ति में उपकर संग्रहण में कमी के मामले पर जीएसटी परिषद की 41वीं, 42वीं और 43वीं बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्यों को एक के बाद एक ऋण के रूप में सहायता जारी करने का निर्णय लिया। राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया और सभी राज्यों ने इस व्यवस्था का विकल्प चुना है। इस व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1.1 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1.59 लाख करोड़ रुपये राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं।

कुछ राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान को पांच वर्ष की संक्रमण अवधि से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016की धारा 18 के अनुसार, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। संक्रमण अवधि के दौरान, राज्यों के राजस्व को 2015-16 के आधार वर्ष के राजस्व पर 14% प्रति वर्ष की दर से संरक्षित किया जाता है। केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्षों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके साथ-साथ, यह बताया जाता है, कि सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, कर-आधार को बढ़ाने और कर अनुपालन में सुधार लाने के लिए कई उपाय कर रही है। इसके परिणामस्वरुप, हाल के वर्षों में सकल जीएसटी संग्रह में काफी उछाल दिखाई दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मासिक औसत सकल जीएसटी संग्रह में क्रमश: 30% और 22% वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई है।

*****